न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम सुभाष चन्द्र

मुकदमा न. 18/18/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

06.06.2018	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी सुभाष चन्द्र जाट पुत्र जगन सिंह जाट गांव भैरूपुरा पो. कसवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ (बूथ दुधमानसागर डेयरी मुकन्दगढ़ का बूथ नं. 16290 भैरूपुरा) उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी नम्बर एफ–1023 खाद्य पदार्थ गाय का दुध का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण Substandard Food का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया एवं कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी सुभाषचन्द्र के 5,000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये, वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official